कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 884/261/आउशि/शा–5/अ/2014 भोपाल, दिनांक 08/12/2014

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्य प्रदेश

विषयः– महाविद्यालयों में पूर्व–छात्र संगठन (एलूमनी एसोसिएशन) के गठन हेतु निर्देश।

किसी भी संस्था के लिए उसके पूर्व–विद्यार्थी बहुत बड़ी निधि होते हैं। ये अपनी मातृ–संस्था (*Alma mater*) को वित्तीय सहायता, नवाचारी विचार, सेवा, सलाह आदि के माध्यम से विकसित करने और उसमें गुणात्मक अभिवृद्धि करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये पूर्व–विद्यार्थी दुनिया के जिस किसी भी कौने में निवास कर रहे हों, वहां वे सक्रिय रहने पर अपनी मातृ–संस्था के राजदूत बन जाते हैं। अतः महाविद्यालय अपने इन पूर्व–विद्यार्थियों से बहुत लाभ उठा सकता है तथा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी को मूर्त रूप दे सकता है।

(2) महाविद्यालय अपने इन पूर्व–विद्यार्थियों के अनुभवों का लाभ उठाने के लिये उन्हें पाठ्यक्रम निर्माण समिति, अकादमिक समिति आदि में विशिष्ट सदस्य बना सकता है। इन्हें समय–समय पर आमंत्रित कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को वैश्विक आवश्यकताओं से परिचित कराते हुए कौशल विकास हेतु **प्रशिक्षिण कार्यक्रम** तथा **उत्प्रेरक कार्यशालाएं** आयोजित कर सकता है। इससे अध्ययनरत विद्यार्थियों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी जो उन्हें बेहतर रोजगार दिलाने में सहायक हो सकेगी तथा संस्थान की बेहतर पहचान बन सकेगी। जैसे–जैसे संस्था का नाम बढ़ेगा, वैसे–वैसे उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के मन में अपनी संस्था के प्रति गौरव का भाव बढ़ेगा और वे अक्सर उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की उपाधि का मूल्य उसकी मातृ–संस्था से जुड़ा होता है।

(3) प्रत्येक महाविद्यालय में **एलुमनी एसोसिएशन** का होना आज की महति आवश्यकता है क्योंकि इसका उद्देश्य अपनी मातृ–संस्था के साथ अपनत्व बढ़ाने तथा उसके गुणात्मक विकास और विस्तार में पूर्व–विद्यार्थियों को भागीदार बनाना है। जिन महाविद्यालयों में यह एसोसिएशन पूर्व से गठित है, वे इसे सशक्त बनाने हेतु कार्यवाही करें। लेकिन जिन महाविद्यालयों में यह गठित नहीं है वहां वे इसका गठन सुनिश्चित करें।

(4) एसोशिएशन के गठन के लिये महाविद्यालय के उत्साही तथा रूचिशील पूर्व–विद्यार्थियों को आमंत्रित कर एक अनौपचारिक बैठक आयोजित करें, जिसमें महाविद्यालय के विकास एवं गुणवत्ता के उन्नयन के लिये विचार विमर्श कर एसोसिएशन के विज़न तथा गतिविधियों पर चर्चा कर एक रूप–रेखा तैयार की जाय। इस बैठक में

उपस्थित पूर्व–विद्यार्थियों को **फाउंडर मेंबर** कहा जाये। इसके पश्चात पूर्व विद्यार्थियों के बारे में निम्नानुसार जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर एक डाटाबेस तैयार करने का कार्य आरंभ किया जाये :–

1. नाम .....
2. पता .....

3. सम्पर्क टेलीफोन नं..... मोबाइल नं. .....ई–मेल.....

4. क्षेत्र जिससे वर्तमान में जुड़े हैं .....

5. विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का अनुभव .....

6. महाविद्यालय के लिये किस तरह का सहयोग प्रदान कर सकते हैं:–

   1. अधोसंरचना के विकास और उन्नयन में सहयोग
   2. विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने में सहायता
   3. विद्यार्थियों की कॉउन्सलिंग/प्रशिक्षण आदि में सहभागिता
   4. पुस्तकालय विकास में सहयोग
   5. महाविद्यालय को फीडबैक/सलाह/नवाचारी विचार
   6. फैलोशिप/स्कॉलरशिप की व्यवस्था
   7. वर्तमान विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन
   8. सुविधानुसार अतिथि व्याख्यान
   9. क्षमतावान प्रायोजकों एवं दानदाताओं को संस्थान से जोड़ना

(5) एसोसिएशन के नेतृत्व हेतु उस पूर्व–विद्यार्थी का चयन करें जो –

1. महाविद्यालय के साथ कार्य करने में रूचिशील हो
2. महाविद्यालय को समय देने में उत्सुक हो
3. वह उत्साही हो तथा तय की गई योजनाओं के समयबद्ध क्रियांवयन के लिये प्रतिबद्ध हो।
4. महाविद्यालय के पूर्व–विद्यार्थियों को प्रेरित कर उन्हें महाविद्यालय के विकास में जोड़ने की क्षमता रखता हो।

(6) पूर्व–विद्यार्थियों के डाटाबेस को निरन्तर अपडेट करने की व्यवस्था करें। इसकी जिम्मेदारी किसी सक्रिय रूचिशील पूर्व–विद्यार्थी को दें जो महाविद्यालय के जीवित सम्पर्क में होने के साथ ही उत्साही एवं धैर्यवान हो तथा कम्प्यूटर–फ्रेंडली भी हो।

(7) सभी सदस्य संस्था एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित में विभिन्न योजनाओं के क्रियांवयन में रूचि लें तथा वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य आयोजित करें।

(8) पूर्व विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट पर व्यवस्था करें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक 885/261/आउशि/शाखा–5'अ'/2014, भोपाल, दिनांक 08/12/2014

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सहायक, मान. मंत्री उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, मान. राज्यमंत्री उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।

18.12.14
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
भोपाल